फा.सं.जेड-16012/02/2013-सीएलएस.1

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन,रफी मार्ग,

नई दिल्ली,दिनांकः 27.10.2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयःदूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग(ए आर सी) की दसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति,2012 के अंतर्गत केन्द्रीय श्रम सेवा (सीएलएस) अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 अप्रैल, 2013 के का.ज्ञा.सं.12021/02/2009-प्रशिक्षण 1 के संदर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग(ए आर सी) ने अपनी दसवीं रिपोर्ट में जैसा कि राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 में कहा गया है कि अगले उच्च ग्रेडों में पदोन्नति_के लिए प्रवेश स्तर(प्रवेश चरण) और अगले उच्च ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए सेवारत प्रशिक्षण अनिवार्य रुप से देने की सिफारिश की है। सरकार द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैः

(क) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को प्रारंभिक चरण पर अनिवार्य रुप से प्रशिक्षण लेना चाहिए। सेवा में सत्यापन के लिए सफलता पूर्वक इस प्रशिक्षण का पूरा किया जाना न्यूनतम अनिवार्य शर्त माना जाना चाहिए।

(ख) सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक पदोन्नति से पहले अनिवार्य प्रशिक्षण लेना चाहिए और प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का मूल्यांकन प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम

के बाद किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन पदोन्नति के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(ग) कैरियर के मध्य में प्रशिक्षण का उद्देश्य क्षेत्र की जानकारी का तथा अधिकारी के बदलते नौकरी के कार्यवृत्त के लिए आवश्यक क्षमता का विकास होना चाहिए। इसके लिए उनके विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्टिकरण से संबंधित कैरियर के मध्य में सीखने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।

(घ) सीजीएआर ने सिफारिशें मान ली हैं और यह अवलोकन किया है कि सभी ग्रुप क और ख सेवाओं के लिए पदोन्नति के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही अपने दिनांक 04.07.2012 के का.ज्ञ.सं.12021/01/2012 प्रशिक्षण.1 के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति,2012 को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ- साथ संवर्ग प्रशिक्षण योजना(सीटीपी) और वार्षिक प्रशिक्षण योजना(एटीपी) भी शामिल हैं। यह सुझाव दिया गया है कि कर्मचारियों के कैरियर विस्तार का निर्माण करने/अपेक्षित क्षमताओं का उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रयासों की आवश्यकता होंगीः

i. प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण

ii. मध्य कैरियर प्रशिक्षण

iii. अल्पकालिक विषयक प्रशिक्षण

iv. अनुकूलित प्रशिक्षण

v. प्रबोधन प्रशिक्षण

vi. कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन

3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (सीएलएस प्रभाग) केन्द्रीय श्रम सेवा, जो एक संगठित ग्रुप की सेवा है, कैडर नियंत्रक प्राधिकारी है। वर्तमान में मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन का प्रशिक्षण स्कंध योजनागत स्कीम के अन्तर्गत केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है क्योंकि केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारी अपने कार्यों का निष्पादन करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न प्रकार के संगठनों में तैनात हैं:

i. मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के अन्तर्गत सीआईआरएम केन्द्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

ii.महा निदेशक,श्रम कल्याण के अन्तर्गत कल्याण स्कंध कामगारों के लिए विभिन्न कल्याण स्कीमों के अभिशासन के लिए जिम्मेदार है।

iii. केन्द्रीय सरकारी उद्योगों/प्रतिष्ठानों में श्रम निकाय जहाँ केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारी फैक्टरी अधिनियम,1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत कल्याण अधिकारियों के रुप में तैनात हैं।

iv. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मुख्य सचिवालय जहाँ केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारी, श्रम नीति के मामलों पर सलाह दे रहे हैं।

4. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति, 2012 के दस्तावेज और दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के प्रावधानों के आलोक में केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण नीति को समाविष्ट करने का निर्णय लिया गया है जिसमें निम्नलिखित तीन घटक शामिल हैः

1. अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण(प्रारंभिक/प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण, अगले ग्रेड में पदोन्नति से पहले मध्य कैरियर प्रशिक्षण)

2.पुनश्चर्या प्रशिक्षण (अल्प कालिक विषयक प्रशिक्षण/ अनुकूलित प्रशिक्षण/ कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन)

3.दीर्घ कालिक प्रशिक्षण (श्रम कानूनों या श्रम कल्याण आदि के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम)

5. नई प्रशिक्षण नीति के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 2012 के अनुसार प्रारंभिक स्तर का प्रशिक्षण आवासीय,कठिन तथा सामान्यतः लम्बी अवधि का होना चाहिए। तदनुसार सभी केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारी जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के माध्यम से या फीडर ग्रेड अर्थात् श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) और कल्याण प्रशासक जिन्होंने पदोन्नति के पश्चात् केन्द्रीय श्रम सेवा के जूनियर टाइम स्केल में कार्यभार ग्रहण किया है,उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय कैडर नियंत्रक प्राधिकारी अर्थात् श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सीएलएस अनुभाग द्वारा मुख्य श्रमायुक्त(कें.) संगठन के प्रशिक्षण प्रभाग और वी.वी.गि.रा.श्र.सं.नोयड़ा के साथ मिल कर किया जाना चाहिए। इस प्रशिक्षण का विस्तृत ढांचा निम्न प्रकार हैः

क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती किए गए केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए 12 (बारह दिनों का प्रशिक्षण):

इन अधिकारियों को केन्द्रीय श्रम सेवा के विभिन्न स्कंधों के कामकाज की गहराई से जानकारी उपलब्ध करवाने और उनके कामों के उचित निष्पादन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 12 सप्ताह का प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विषय के मॉड्यूल उनके उस संगठन जहाँ वे तैनात हैं (अर्थात् मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन, महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और औद्योगिक प्रतिष्ठान) से जुड़े उनके मूल कार्यों जो उनके द्वारा किए जाने की अपेक्षा की जाती है की जिम्मेदारियों के अलावा सरकार के कामकाज की जानकारी से संबंधित विषयों के अनुकूल होगा।

(ख) फीडर कैडरों से पदोन्नत केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए 6 सप्ताह का प्रशिक्षण

चूँकि श्रम प्रवर्तन अधिकारी(कें.) और कल्याण प्रशिक्षक के ग्रेडों के अधिकारी मुख्य श्रमायुक्त (कें.) और महानिदेशक श्रम कल्याण संगठनों के कामकाज से पहले ही अवगत हैं, इस प्रशिक्षण के मापदंड का ढांचा इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि उन्हें केन्द्रीय श्रम सेवा के तीनों स्कंधों की जानकारी मिल सके। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में क्षेत्र में उनकी जानकारी और कुशलताओं को अद्यतन करने के लिए श्रम कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन, प्रतिष्ठानों में काम कर रहे कामगारों के कल्याण से संबंधित संवैधानिक कार्यों के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों/फैक्टरियों जहाँ अधिकारी तैनात हैं के कल्याण स्कंध के कामकाज की जानकारी भी शामिल की जाएगी। इस कार्यक्रम में सरकारी नीतियों का प्रबोधन भी शामिल होगा।

2. पदोन्नति से पहले मध्य कैरियर प्रशिक्षण

(क) 4 सप्ताह का मध्य कैरियर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति के अनुसार सभी अधिकारियों को उनके कैरियर के विभिन्न स्तरों/चरणों पर उच्चतर जिम्मेदारी के पदों पर पदोन्नति से पहले कैरियर से जुड़ा हुआ अनिवार्य प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाना है। इसका उद्देश्य अधिकारी के बदलते कार्य की रुपरेखा के लिए अपेक्षित कार्य क्षेत्र की जानकारी और क्षमता का विकास करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषय़ का मॉड्यूल उनके कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियों के विषय से संबंधित होगें जिनसे उनके द्वारा संगठन में निष्पादन किया जाना अपेक्षित है, अर्थात् मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन, महानिदेशक श्रम कल्याण संगठन और निश्चित औद्योगिक प्रतिष्ठान जहाँ वे तैनात हैं और कार्यालय प्रमुख के रुप में उनके द्वारा प्रयोग की जा रही प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के क्षेत्र में उनकी जानकारी को समृद्ध करने का कार्यक्रम भी शामिल होगा। तथापि एसएजी और एचएजी ग्रेड में पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नति के लिए अनिवार्य़ मध्य कैरियर प्रशिक्षण से छूट दी जाएगी।

3. पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन का प्रशिक्षण प्रभाग योजना स्कीम के अन्तर्गत श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण स्कंध में सुधार और सुदृढ़ीकरण के लिए संबंधित क्षेत्रों में विख्यात प्रवीणता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग के साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्य़क्रम की व्यवस्था करेगा। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन आन्तरिक वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त करके ऐसे संस्थानों के साथ तीन या चार वर्षों की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन(एमओयू) करेगा। पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल होगाः

(क) अल्पकालिक विषय संबंधी प्रशिक्षण

अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध सभी ग्रेडों के केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों के लिए नियमित अवधि पर संबंधित विषयों में व्यावसायिक क्षमताओं का निर्माण करने और उनके नेतृत्व का विकास करने, दबाव में प्रबंधन और लोक प्रशासन में नीतियों औऱ मूल्यों इत्यादि के पाठ्यक्रम की जानकारी देकर उनमें वांछित वैयक्तिक गुण सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण की अवधि सामान्यतः एक सप्ताह से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

ख) अनुकूलित प्रशिक्षण

यह गहन जानकारी, अध्यतन विकासों और क्षेत्र में किए जा रहे बेहतर प्रयोगों की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष में उत्कृष्टता केंद्र में चलाया जाने वाला गहन कार्यक्रम है । इन कार्यक्रमों की अवधि विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर निर्भर होगी और ये कार्यक्रम भारत अथवा विदेश में चलाए जा सकते हैं ।

(ग) कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन

केंद्रीय श्रम सेवा के मध्यम वर्गीय अथवा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को विभिन्न समकालीन विषयों और मुद्दों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपने ज्ञान, अपनी सोच और विकास संबंधी जानकारी को बढ़ा सकें और दूसरों के लाभार्थ अपने अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें ।

पूर्व में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत अल्पकालीन विषयगत प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सूची अनुबंध क के रूप में प्रस्तुत है।

6. निधिकरण (वित्तीय प्रभाव):

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 19 जनवरी, 2012 के का.ज्ञा.सं.12021/8/2011-प्रशि.I के ज़रिए प्रावधान किया है कि " राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 1996 में सिफारिश की गई है कि वेतन बजट का 1.5% प्रत्येक विभाग द्वारा अलग रखा जाए जिसका उपयोग केवल प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए किया जाएगा।" दक्षता आधारित प्रणाली को अपनाते हुए प्रशिक्षण की आवश्यकता में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संगठन प्रशिक्षण के लिए वेतन बजट 2.5% अलग रखा जाए। तदनुसार बजट में ऐसे प्रावधान किए जाएंगे कि आगामी वित्तीय वर्ष से श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के कर्मचारियों (केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों सहित) के प्रशिक्षण के लिए वेतन बजट का कम से कम 2.5% अलग रखा जाए।

पुनश्चर्या प्रशिक्षण में शामिल व्यय की पूर्ति मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के बजट में से योजनागत स्कीम के अंतर्गत " श्रम अधिकारियों के प्रशिक्षण विंग में सुधार " के लिए की जाएगी।

7. कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना

(i) केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण नीति के कार्यान्वयन को सरल बनाने के दृष्टिकोण से केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों का कैडर नियंत्रक प्राधिकरण होने के नाते सी एल एस-I प्रभाग द्वारा सी एल एस अधिकारियों, जो जे टी एस ग्रेड में सीधी भर्ती के रूप में आने वाले सी एल एस अधिकारियों तथा प्रत्येक वर्ष सी एल एस के एस टी एस और जे ए जी ग्रेड में प्रोन्नत किए जाने वाले सी एल एस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 10 वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इसकी सूचना सी एल एस-I प्रभाग द्वारा मुख्य श्रमायुक्त (कें.) तथा

महानिदेशक, वी वी जी एन एल आई को उनके स्तर पर आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जानी चाहिए।

(ii) सी एल एस अधिकारियों के लिए अनिवार्य शुरुआती/प्रारंभिक स्तर के प्रशिक्षण और सेवा अवधि के मध्य में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/मॉड्यूल मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन के परामर्श से महानिदेशक, वी. वी. गि. रा. श्र. सं. द्वारा तैयार किया जाएगा जो इस मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी,2014 के कार्यालय ज्ञापन सं.ए-39011/01/2013-सी एल एस-I के ज़रिए केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के विभिन्न पदों और ग्रेडों के लिए विहित कार्य सूची/कार्य मानदण्ड में दिए गए कार्यों और ज़िम्मेदारियों के निर्वहन के लिए आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।

(iii) जे टी एस ग्रेड के लिए अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण और सी एल एस के एस टी एस और जे ए जी के लिए प्रोन्नति के स्तरों पर सेवा काल के मध्य में दिया जाने वाला अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन वी. वी. गि. रा. श्र. सं.,नोयडा द्वारा मुख्य श्रमायुक्त (कें.) के परामर्श से महानिदेशक, वी. वी. गि. रा. श्र. सं. द्वारा अंतिम रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम/ मॉड्यूल के अनुसार किया जाएगा। वी. वी. गि. रा. श्र. सं. आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के अंग के रूप में अध्ययन दौरों का आयोजन कर सकता है। सी एल एस के एस टी एस / जे ए जी स्तर के अधिकारियों के प्रशिक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम के विदेशी संगठन को भी शामिल किया जा सकता है।

(iv) वी. वी. गि. रा. श्र. सं. में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने का अनुमानित व्यय का मूल्यांकन महानिदेशक, वी. वी. गि. रा. श्र. सं. द्वारा किया जाएगा और इसकी सूचना मुख्य श्रमायुक्त (कें.) तथा सी एल एस-I प्रभाग को दी

जाएगी। मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय प्रशिक्षुओं के खाने-पीने/रहने की व्यवस्थाओं सहित उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए बजटीय सहायता प्रदान करेगा। प्रशिक्षणाधीन अधिकारियों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर होने वाला व्यय संबंधित संगठन/प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाएगा।

(v) मुख्य श्रमायुक्त (कें.) संगठन का प्रशिक्षण प्रभाग संबंधित क्षेत्र में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से पुनश्चर्या प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करेगा। वे संबंधित संस्थानों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अंतिम रूप देंगे और जब भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार हो जाएंगे ऐसे प्रशिक्षणों के लिए सी एल एस अधिकारियों को नामित करेंगे।

8. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन

प्रारंभिक स्तर पर जे टी एस ग्रेड के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण तथा अन्य ग्रेडों में प्रोन्नति के लिए सेवा अवधि के मध्य में दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंत में प्रत्येक सहभागी अधिकारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा। सीधी भर्तियों की अभिपुष्टि तथा उच्च ग्रेडों में सी एल एस अधिकारियों के पदोन्नति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूरा करना अनिवार्य होगा ।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

(बाबू चेरियान)
निदेशक(सी एल एस.आई)
दूरभाष:23753079

सेवा में,

(1) केंद्रीय श्रम सेवा के सभी अधिकारी

(2) मुख्य श्रमायुक्त(केंद्रीय),नई दिल्ली

(3) महा निदेशक,श्रम कल्याण,जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली

(4) सभी भाग लेने वाले मंत्रालय/विभाग/संगठन

(5) महा निदेशक,वी.वी.गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था, नोयडा, (यू पी)

(6) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (प्रशिक्षण प्रभाग),ब्लॉक-IV, ओल्ड जे एन यू कैंपस, नई दिल्ली को उनके कार्यालय ज्ञापन के संबंध में

(7) एन आई सी, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को मंत्रालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

प्रति सूचनार्थ

अनुबंध 'क'

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा चयनित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र.सं.	शीर्षक/विषय	लक्ष्य ग्रुप एवं संख्या	संस्था	अवधि एवं स्लॉट संख्या
1.	सुलह कौशल/ श्रम कानूनों के तहत कौशल विकास	सी एल एस अधिकारी/प्रत्येक 20 (कुल=40)	एक्स एल आर आई-जमशेदपुर	5 दिन/2
2.	अर्ध न्यायिक कार्यों का व्यावसायिक विकास	सी एल एस अधिकारी/प्रत्येक 20 (कुल=40)	राज्य न्यायिक अकादमी	5 दिन/2
3.	अदालती मामलों का आयोजन	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) एवं सी एल एस अधिकारी (ग्रेड-V)/प्रत्येक 20 (कुल=40)	राज्य न्यायिक अकादमी	5 दिन/2
4.	श्रम कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन	श्रम प्रवर्तन अधिकारी/केवल 20	वी वी जी एन एल आई, नोयडा	5 दिन/1

5.	रोजगार विनियमन के घंटे	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) एवं सी एल एस अधिकारी /प्रत्येक 20 (कुल=40)	रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा	5 दिन/2
6.	बी ओ सी डब्लयू (आर ई एंड सी एस) के अधिनियम के तहत सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान	श्रम प्रवर्तन अधिकारी (कें.) एवं सी एल एस अधिकारी / केवल 20	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,मुम्बई	5 दिन/1
7.	बी ओ सी डब्लयू (आर ई एंड सी एस) के अधिनियम के तहत दुर्घटनाओं पर जांच	सी एल एस अधिकारी- ग्रेड-IV एवं V / केवल 20	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद,मुम्बई	3 दिन/1
8.	कल्याण निधियों/ उपकर का प्रभावी कार्यान्वयन और वित्तीय प्रबंधन	सी एल एस अधिकारी / केवल 20	वी वी जी एन एल आई, नोयडा	5 दिन/1

9.	कारखानों/ प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों/ स्कीमों का प्रभावी कार्यान्वयन और सामाजिक संवाद	सी एल एस अधिकारी /प्रत्येक 20 (कुल=40)	वी वी जी एन एल आई, नोयडा	5 दिन/2
10.	नेतृत्व और संघर्ष समाधान पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	ग्रेड- III एवं IV सी एल एस अधिकारी/ केवल 20	श्री राम सेंटर,नई दिल्ली	5 दिन/1
11.	प्रबंधन विकास कार्यक्रम	ग्रेड- III एवं IV सी एल एस अधिकारी/ मात्र 20	आई आई एम- अहमदाबाद/कोलकाता/शिलॉंग/ प्रशासनिक कॉलेज,हैदराबाद	5 दिन/1